न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45 / 2021 (2021 / 197)

शुभम सिंहल पुत्र ज्ञानचंद सिंहल जाति महाजन निवासी ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री हेमन्त जैन अभिभाषक – प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार– तहसीलदार केकड़ी

आदेश

दिनांक 27.10.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या नया–पुराना 1706–99 खसरा नंबर 6427 / 1267 रकबा 0.56 है0 गै.मु.पाल तथा खसरा नंबर 6428 / 1268 रकबा 0.90 बारानी 03 कुल किता 02 रकबा 1.46 है0 भूमि है जो प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। इसमे विद्यमान मार्ग का विस्तार करने या चौड़ा करने का आशय रखता है। उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नबर 6427 / 1267 एवं 6428 / 1268 प्रार्थी की है जिसमे आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 1269 मे से होकर आता है। उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा कोई रिकार्डेड रास्ता नही है,ना ही रेकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थी काफी लंबे समय से इसी खसरा नंबर 1269 मे वर्णित रास्ते मे से होकर अपने खेत मे आता जाता है। रास्ता लगभग 30 फिट चौड़ा है,तथा इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी मे जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है अतः उक्त विद्यमान मार्ग को राजस्व रेकार्ड मे " रास्ते के रूप मे अभिलेखित किया जाये " तथा इस हेतु प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार केकड़ी –पैरोकार सरकार ने अपने पत्र कमांक / भू.अ. / 2021 / 1156 दिनांक 14.10.2021 के द्वारा जवाब मौका व मौका रिपोर्ट पेश की। मौका रिपोर्ट व जवाब के अनुसार प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि एवं कब्जा काश्त की भूमि है। प्रार्थी वर्तमान मे सिवायचक खसरा नंबर 1269 मे से खेत मे आने जाने के काम मे लिया जा रहा है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते के अल[illegible] प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है। खसरा नंबर 1269 रकबा 0.67 है0 मे से [illegible] ,9 मीटर चौड़ा कुल 594 वर्गमीटर जिसकी डी0एल0सी0 दर [illegible] 33355 रू मात्र होते है। प्रार्थी के आने जाने हेतु अन्य कोई [illegible] प्रस्तावित जमीन सिवाय[illegible] जमीन के बदले जमीन की रजामंदी नहीं करवाई जा [illegible] है।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान [illegible] प्रार्थी श्री हेमन्त जैन ने बहस प्रारंभ करते हुए प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दौहराया तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत करने की प्रार्थना की तथा प्रतिकर के रूप मे रास्ते मे आने वाली भूमि की डी0एल0सी0दर से दुगनी राशि संबंधित पक्षकारान को अदा करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:18:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सहमति जाहिर की। पैरोकार सरकार द्वारा भी तहसीलदार केकड़ी द्वारा मौका रिपोर्ट मे दर्शाये अनुसार रास्ता स्वीकृत करने मे सहमति जाहिर की।

वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर गौर किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को मे बल होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी स्वयं की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 6427/1267 व 6428/1268 मे जाने हेतु सिवायचक खसरा नंबर 1269 मे से 9मीटर चौड़ा व 66 मीटर लंबा कुल 594 वर्गमीटर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। जिसकी डी0एल0सी0दर 450846 रू प्रति हैक्टर राशि की दुगनी कीमत 450846रू गुणा 594 गुणा 2 कुल राशि 53555 रू अक्षरे तिरेपन हजार पॉच सो पचपन रूपये तहसीलदार केकड़ी उक्त प्रतिकर राशि प्रार्थी से प्राप्त कर,जरिये चालान राजकोष मे जमा करे। उक्त रास्ते की भूमि को सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाकर नक्शे मे तरमीम किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:18:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner